

**मूल वाद में प्राथमिक डिक्री**  
(आदेश 20 नियम 6 और 7 )

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा (राज.)

रघुवीर प्रसाद केवट आत्मज स्वर्गीय रामरतन केवट निवासी हताई का चौक सकतपुरा कोटा मृतक जरिये कायम मुकामान 1/1.कान्ति बाई पत्नी स्वर्गीय रघुवीर प्रसाद केवट  
बनाम महावीर प्रसाद केवट आत्मज स्वर्गीय रामरतन केवट निवासी हताई का चौक सकतपुरा कोटा  
- प्रतिवादीगण  
1/2.सूरज केवट आत्मज स्वर्गीय रघुवीर प्रसाद केवट  
1/3.निशा केवट पुत्री स्वर्गीय रघुवीर प्रसाद केवट पत्नी श्री सुरेन्द्र केवट  
1/4.शीला केवट पुत्री स्वर्गीय रघुवीर प्रसाद केवट पत्नी श्री दीपक केवट  
1/5.रीना पुत्री स्वर्गीय रघुवीर प्रसाद केवट पत्नी श्री राजेन्द्र केवट निवासी हताई का चौक, बी0एड. कॉलेज रोड सकतपुरा कोटा  
-वादी

**--: वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम :-**

मुकद्मा नं. 36 / 2016

वाद में आज तारीख को डिक्रीदार के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर तहसीलदार लाडपुरा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार कोई आपत्ति नहीं होने से ग्राम बालिता तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खाता संख्या नया 181 पुराना 158 के खसरा नं0 270 रकबा 0.92 है0 वादी एवं प्रतिवादी के मध्य निम्नानुसार फाईनल अर्थात् अन्तिम डिक्री जारी की जाकर भूमि विभाजित की जाती है-

क्र0सं0	नाम खातेदार	ख0 नं0	रकबा	दिशा
1.	1.सूरज पुत्र रघुवीर प्रसाद 2.निशा पुत्री रघुवीर प्रसाद 3.रीना पुत्री रघुवीर प्रसाद 4.शीला पुत्री रघुवीर प्रसाद 5.कान्ति काई पत्नि रघुवीर प्रसाद जाति कीर सा0 सकतपुरा हि0 बराबर	270	0.46 है0	उत्तरी दिशा
2.	महावीर प्रसाद पुत्र रामरतन जाति कीर सा0 सकतपुरा	270	0.46 है0	दक्षिणी दिशा

इस वाद के खर्चे लेखे...X...रुपये की राशि, आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर... X ...प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज सहित... X .....द्वारा ..... X .....को दी जाए ।  
यह डिक्री आज तारीख...16...माह...6...सन् ...25...को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी  
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा  
कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, कोटा:-0744-2325871

वाद के खर्चे

वादी	रुपये	प्रतिवादी	रुपये
1. वादपत्र के लिये स्टाम्प 2. षक्तिपत्र के लिये स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिये स्टाम्प 4. ....रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय 6. कमिष्जर की फीस 7. आदेशिका की तामील		षक्तिपत्र के लिये स्टाम्प अर्जी के लिये स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिष्जर की फीस	



उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
कोटा  
कोटा